	निर्णय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-11-22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. व काउन्टर प्रार्थना-पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित विवादित आराजी पुश्तैनी भूमि होना तथा मूल पुरूष मालो के तीन पुत्र भैरू, मथुरा व कान्हा थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है बताते हुए कथन किया कि मृतक भैरू के तीन पुत्र व दो पुत्रिया थी मृतक मथुरा के प्रार्थी सं.3 है जबकि मृतक कान्हा के प्रार्थी सं.1 व 2 है सभी हिस्सा 1/3 1/3 पर काबिज काश्त चले आ रहे है। सेटलमेन्ट अधिकारियो ने बिना सुने बाद वर्णित आराजी मे प्रार्थीगण 1 व 2 का हिस्सा व प्रार्थी सं.3 का हिस्सा 1/3 1/3 के स्थान पर राजस्व रिकार्ड मे हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया गया जो अनुचित दर्ज किया गया है। शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया गया। अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से का अनुचित लाभ लेकर विवादित आराजी को रहन बिक्री कर सकते है अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थी के कथनो का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ने पीढी शजरा गलत पेश किया है। मथुरालाल लाओलाद फौत हुआ है, प्रार्थी सं.3 मृतक मथुरा का गोद-पुत्र नही था कान्हा का पुत्र था। विगत 80 वर्षो से प्रार्थीगण के पिता कान्हा ग्राम कोटडी छोड़कर ग्राम डपय चले गये थे तब से अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त आज तक चला आ रहा है। अप्रार्थीगण 1,5,6 की तरफ से काउन्टर प्रार्थना-पत्र पेश कर कथन किया कि वाद वर्णित आराजी के सम्बन्ध	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थीगण के पूर्वज व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 के पूर्वज व अप्रार्थीगण 5 व 6 के मध्य पारिवारिक करार 15-2-1998 को स्मृति पत्र तहरीर किया जाकर हो गया था जिसके अनुसार प्रार्थीगण ग्राम ढाडा व अप्रार्थीगण ग्राम कोथ खुर्द की कृषि भूमियों पर काबिज रहेंगे। प्रार्थीगण मृतक काल्या व मृतक मथुरा के स्थान पर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराकर अनुचित लाभ लेना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है अप्रार्थीगण 1, 5 व 6 को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण के विरुद्ध काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश करके तावफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करें। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किये जाने से स्पष्ट है कि वादीत आराजी विवादित भूमि है प्रार्थीगण अनुसार रिकॉर्ड व मौके का गलत उपयोग हो सकता है अप्रार्थीगण काउन्टर प्रार्थना-पत्र अनुसार ता फैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते हैं। चूंकि वाद वर्णित आराजी पुश्तैनी है प्रार्थी/अप्रार्थी के अधिकारों का निर्धारण मुकदमा में होना है जिसमें समय लगने की सम्भावना को मद्देनजर रखते हुए तावफैसला मुकदमा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व काउन्टर प्रार्थना-पत्र आंशिक स्वीकार कर उभयपक्षों को तावफैसला मूल वाद विवादित आराजी खसरा सं. 507, 508, 550, 978, 979, 1132, 1340, किता 7 योग रकबा 3.58 हैक्टर वाके ग्राम कोथ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षों को अस्थायी

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर सलग्न मूलवाद रहे। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी) उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	